



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1438/RJ/1/2023-ESDW

दिनांक: 13.04.2023


श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री,
कलेक्टर,
जिला डूंगरपुर,
कलेक्टर कार्यालय,
डूंगरपुर, राजस्थान
ई-मेल:- dm-dun-rj@nic.in

विषय: कलेक्टर डूंगरपुर द्वारा गलत आदेश की वजह से गलत नामांकन का सुधार कर मूल खातेदार के नाम पुनः जमीन के खसरो पर आवंटन आदेश करने हेतु एवं उक्त फर्जीवाड़े में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कारवाही किए जाने के संबंध में श्री हाजा, सियालदरी, बिलडी, डूंगरपुर, राजस्थान का दिनांक 10.02.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री हाजा से दिनांक 10.02.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.


(एच. आर. मीना)
(अनुसंधान अधिकारी)

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री हाजा,
पिता-रामा कलासुआ,
निवासी-सियालदरी, बिलडी,
जिला-डूंगरपुर, राजस्थान
2. ✓ एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।